B.A. II
समाजशास्त्र -

विवाह - विच्छेद (तलाक)
(Divorce)

तलाक आधुनिक भारतीय समाज की एक विशेषता के रूप में उभर रहा है यह मूलक विवाह व्यवस्था का द्योतक बताया गया है। विभिन्न समाज वैज्ञानिकों के अनुसार विभिन्न आधुनिक कारकों - पश्चात्य शिक्षा, संस्कृति औद्योगीकरण नगरीकरण स्त्री- शिक्षा व आन्दोलन और राजनीतिक सुधार आदि के वजह से विवाह व्यवस्था में नवीन प्रवृतियों का विकास हुआ है। नवीन प्रवृतियों का स्पष्ट परिणाम तलाक। पहले कोई भी हिन्दु तलाक की कल्पना नही कर सकता था।

तलाक की अवधारणा
(Concept of Divorce)

सामाजिक और कानूनी रूप से पति-पत्नि के बीच विवाह सम्बन्ध का टूटना तलाक कहलाता है यह स्थिति

पति - पत्नि के वैवाहिक जीवन और पारिवारिक जीवन के असफलता को परिचायक है। इसे अस्वस्थ वैवाहिक व पारिवारिक जीवन की चरम गति माना जा सकता है।

तालाक मुख्यत: एक दुखद स्थिति की द्योतक बताया गया है। क्योंकि इसमें साथी सामान्य अपमानित तिरस्कृत व पीडित अनुभव करता है। हिन्दु समाज में विवाह एक धार्मिक संस्कार के रूप में माना जाता है। लेकिन जब से यह धर्म - निरपेक्ष होता जा रहा है।

एम० ए० इलिएट और एफ ई मेरिल के अनुसार -

तालाक के दो रूप हो सकते है पहला आंशिक तालाक और दूसरा पुर्ण तालाक आंशिक तालाक को न्यायिक पृथक्करण कहा जाता है। विवाह तबतक समाप्त नही करते जबतक पति - पत्नि पुन: विवाह नही कर लेते। इसमें पत्नि के भरण

पोषण के लिए कुछ व्यवस्था की जाती है पूर्ण तलाक वैवाहिक सम्बन्धो की वैधानिक रूप से समाप्ति है।

18 मई 1955 में बनाये गये हिन्दु विवाह अधिनियम के आधार पर की जाती है यह अधिनियम जम्मू एवं कश्मीर को छोड़कर सम्पूर्ण भारत में निवास करनेवाले हिन्दुओ (जिनमें जैन बौद्ध एवं सिक्ख भी सम्मलित है। पर लागू किया गया है. हिन्दु विवाह अधिनियम 1955 की धारा 13. 14, में तलाक के लिए कई आधार पर वर्णन किया जाता है। दोनो पक्ष में से कोई निम्न में से एक या अनेक आधारो पर तलाक की आज्ञा के लिए न्यालय में आवेदन दे सकते है।

(i) पति या पत्नि में से कोई बलात्कार का दोषी है
(ii) पति या पत्नि आवेदन की तिथि से तीन वर्ष पूर्व से भयकर कोढ़ जैसे रोग से पीड़ित हो जिसके उपचार की कोई सम्भावना न हो
(iii) पति या पत्नि ने हिन्दु धर्म परिवर्तन करलिया हो और वह हिन्दु न रह गया हो

PAGE NO.:
DATE: / /

(4) पति नपुंसक हो,
(5) पति बलात्कार का दोषी हो
(6) पति गुदा मैथुन का दोषी हो और पति पशु मैथुन का दोषी हो।
(7) पति या पत्नि आवेदन की तिथि से तीन वर्ष पूर्व से संक्रामक यौन रोग से ग्रसित हो।
(8) पति या पत्नि ने संन्यास धारण कर लिया हो।
(9) पति या पत्नि का पिछले 7 वर्षों से जीवित न होने का पता चले।

प्राचार्य
मीरा मेमोरियल महाविद्यालय
शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान
पाण्डेयपुर, ताखा, बलिया